



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.02.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 06 मामलों में कुल 09 अभियुक्तों को कुल 13 हजार 600 रूपए के जुर्माने से कराया गया दण्डित।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 06 मामलों में कुल 09 अभियुक्तों को कुल 13 हजार 600 रूपए के जुर्माने से दण्डित कराया गया।

अभियोग-

1. थाना गिरवां में पंजीकृत अभियोग 244/2015 धारा 279/337/338 भादवि के अभियुक्त राजकुमार साहू पुत्र काशीप्रसाद निवासी आजाद नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को **2500 रूपये के जुर्माने** से कराया गया दण्डित।
2. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग- 84/11 धारा 3/4 जी0 एक्ट के 03 अभियुक्तों 1-गोरैलाल पुत्र सहेश निवासी टर्नी, भगनपुर थाना कर्वी जनपद चित्रकूट 2-हैदरअली पुत्र रज्जवअली निवासी निहारा का पुरवा थाना कर्वी जनपद चित्रकूट व 3-श्रीचन्द्र पुत्र चुन्ना पटेल निवासी भगनपुर थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को **कुल 1500/ रूपये** के जुर्माने से कराया गया दण्डित।
3. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग- 43/11 धारा 323/504/506 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-रामहित उर्फ बिटला त्रिपाठी पुत्र सत्यनारायण व 2-नीलू पुत्र रामहित निवासीगण पचोखर थाना अतर्रा जनपद बांदा को **कुल 4000/ रूपये** के जुर्माने से कराया गया दण्डित।
4. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग- 27/12 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त रविशंकर तिवारी पुत्र महेश तिवारी निवासी हस्तम थाना बिसंडा जनपद बांदा को **जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास व कुल 1500/ रूपये** के जुर्माने से कराया गया दण्डित।
5. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग- 291/95 धारा 379 भादवि के अभियुक्त छेदीलाल पुत्र दशरथ निवासी चुनवा पुरवा थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को **जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास व कुल 2000/ रूपये** के जुर्माने से कराया गया दण्डित।
6. थाना बदौसा में पंजीकृत अभियोग- 46/12 धारा 279/337/429 भादवि व 184 एमवी एक्ट के अभियुक्त वसीम अली पुत्र शमीम आलम निवासी तरौहा थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को **कुल 2100/ रूपये** के जुर्माने से कराया गया दण्डित।